डी. एस. तेवतिया और एम. आर. अग्निहोत्री से पहले, जे.जे.

शिव दयाल सिंह रमेश चंदर और अन्य।

-याचिकाकर्ता.

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य-प्रतिवादी।

1986 की संशोधित सिविल रिट याचिका संख्या 1105

17 मार्च 1988.

हरुआना ग्रामीण विकास अधिनियम (1936 का टप)--धारा 5(3)। 6(5) और 11-अधिसूचित बाजार क्षेत्रों में कृषि उपज की वास्तविक बिक्री पर यथामूल्य शुल्कध्उपकर लगाया गया-डीलरों को अगले खरीदार से इस तरह के शुल्क की वसूली के लिए उत्तरदायी बनाया गया-विकास के उद्देश्य के लिए हरियाणा ग्रामीण विकास निधि में विनियोजित शुल्क अधिसूचित बाजार क्षेत्रों की-प्रतिनिधित्व के तत्व की अनुपस्थिति के आधार पर अधिनियम की शर्तों को चुनौती दी गई है और कहा गया है कि शुल्क वास्तव में राज्य द्वारा लगाया जाने वाला कर नहीं है-प्रतिलाभ का नियम-चाहे शुल्क का आवश्यक घटक हो, -कहा गया -शुल्क लगाना-क्या उचित है-क्या प्रदान की गई सेवाओं के साथ तर्कसंगत संबंध है-अधिनियम-क्या संवैधानिक धारा 11-के तहत वसूले गए शुल्कध्उपकर के प्रतिधारण को मान्य करना।

शिव दयाल सिंह रमेश चंदर और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य (एम. आर. अग्निहोत्री, जे.)

हरियाणा ग्रामीण विकास अधिनियम, 1983-चाहे संवैधानिक हो, जहां शुल्क का बोझ अगले क्रेता डीलरों पर डाला जाता है, क्या उन्हें अन्यायपूर्ण संवर्धन के सिद्धांत पर 1983 अधिनियम के तहत जमा की गई राशि की वापसी से वंचित किया जाना चाहिए।

(1) 1986 अधिनियम का उद्देश्य केवल बाजार क्षेत्रों में काम करने वाले डीलरों को प्रदान की जाने वाली सेवाओं के लिए शुल्क लगाना है।

(2) लगाया गया शुल्क उचित है और प्रदान की गई सेवाओं के साथ घनिष्ठ संबंध रखता है,

(3) बदले के तत्व का परीक्षण पर्याप्त रूप से संतुष्ट है क्योंकि 1986 अधिनियम विशेष रूप से डीलरों और सामान्य रूप से अन्य जनता को पर्याप्त सेवाएं प्रदान करने का प्रावधान करता है।

इसलिए, यह मानना होगा कि हरियाणा ग्रामीण विकास अधिनियम, 1986 संवैधानिक रूप से वैध है।

माना गया कि अधिनियम की धारा 11 संवैधानिक रूप से वैध है और इस आधार पर हमला करने के लिए खुला नहीं है कि यह 1983 अधिनियम के तहत वसूले गए या वसूली योग्य उपकरध्शुल्क की अवधारण को मान्य करना चाहता है।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत याचिका प्रार्थना करें। इस मामले से संबंधित अभिलेखों को तलब किया जाए और उनका अवलोकन करने के बादः

(1) परमादेश की प्रकृति में एक रिट आदेश या निर्देश जारी किया जाए जिसमें विवादित अधिनियम को असंवैधानिक और शून्य घोषित किया जाएय

(2) परमादेश की प्रकृति में उपयुक्त रिट, आदेश या निर्देश जारी करना जिसमें प्रतिवादी को फंड अधिनियम के संचालन के दौरान याचिकाकर्ताओं द्वारा जमा की गई राशि ब्याज सहित वापस करने का निर्देश दिया जाएय

(3) कोई अन्य रिट या आदेश या निर्देश जारी करना जो मामले की परिस्थितियों में उचित और उचित समझा जाएय

(4) अग्रिम सूचना देने और अनुबंधों की प्रमाणित प्रतियां दाखिल करने की आवश्यकता से छुटकाराय

(5) इस रिट याचिका की लागत का निर्धारण करें।

आगे प्रार्थना करते हुए कि इस रिट याचिका के लंबित रहने के दौरान विवादित अधिनियम के संचालन पर रोक लगाई जाए और न्याय के हित में विवादित अधिनियम की धारा 5 और 11 के तहत वसूली पर रोक लगाई जाए।

याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कुलदीप सिंह, गोबिंद गोयल वकील थे।

प्रतिवादियों की ओर से एम. एस. लिब्रहान ए.जी., हरियाणा (आई. डी. सिंगला, उनके साथ वकील)।

ड. त्. ।हदपीवजतप, श्र.

(1) यह निर्णय सी.डब्ल्यू.पी. का निपटान करेगा। 1986 की संख्या 1105 और अड़तीस अन्य रिट याचिकाएं (संख्या 900, 1315, 2146, 2227, 2231, 2247, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2) 370, 2371 , 2372, 2373, 2374, 2375,

2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2619, 2807, 2836, 2845, 2957, 2976, 2977, 2978, 3458 और 3804 में से 1 980) तथ्य और कानून के समान प्रश्नों के रूप में वह शामिल। इन सभी मामलों की एक साथ सुनवाई हुई है और एक ही फैसले से इनका निपटारा किया जा रहा है. चूँकि अन्य रिट याचिकाओं में विद्वान वकील द्वारा किसी अतिरिक्त बिंदु का आग्रह नहीं किया गया है, इसलिए वे इस बात पर सहमत हैं कि इस रिट याचिका का निर्णय अन्य रिट याचिकाओं के भाग्य का भी फैसला करेगा।

(2) शिव दयाल सिंह रमेश चंदर और 168 अन्य याचिकाकर्ताओं ने सी.डब्ल्यू.पी. दायर की है। हरियाणा राज्य और अन्य के खिलाफ 1986 की संख्या 1105, जिसमें उन्होंने हरियाणा ग्रामीण विकास अधिनियम, 1986 (हरियाणा अधिनियम संख्या 6, 1986) की संवैधानिकता को चुनौती दी है, जिसे इसके बाद "1986 अधिनियम" के रूप में जाना जाएगा, और प्रार्थना की है विवादित अधिनियम को असंवैधानिक घोषित करने के लिए परमादेश रिट जारी करने और प्रतिवादी राज्य और मूल्यांकन प्राधिकारियों को उनके द्वारा जमा की गई राशि ब्याज सहित वापस करने का निर्देश देने के लिए। याचिकाकर्ताओं द्वारा रिट याचिका के साथ अनुबंध पी-2 के रूप में 1986 अधिनियम की एक प्रति संलग्न की गई है।

(3) पार्टियों के संबंधित विवादों की सराहना करने के लिए 1986 अधिनियम के कानून का एक संक्षिप्त इतिहास बताया जाना आवश्यक होगा। 1983 में, हरियाणा राज्य ने हरियाणा ग्रामीण विकास निधि अधिनियम, 1983 (हरियाणा अधिनियम संख्या 12, 1983) अधिनियमित किया, जिसे इसके बाद 1983 अधिनियम कहा गया। इस अधिनियम के तहत, हरियाणा राज्य में स्थित बाजार क्षेत्र में कृषि उपज की प्रत्येक बिक्री और खरीद पर 1 प्रतिशत की दर से उपकर लगाने की परिकल्पना की गई थी। में कई रिट याचिकाएँ दायर की गईं। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने 1983 के अधिनियम की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी, जिसे इस

न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने अपने फैसले, दिनांक 13 अक्टूबर, 1984 द्वारा स्वीकार कर लिया, जिसे ओम प्रकाश और अन्य बनाम गिरि राज किशोर और अन्य के रूप में रिपोर्ट किया गया। , (1). विद्वान एकल न्यायाधीश ने माना कि 1983 का अधिनियम व्यापारियों पर शुल्क लगाने के लिए था और उन्हें कोई सेवा प्रदान करने का कोई प्रावधान नहीं था। 1983 अधिनियम को असंवैधानिक घोषित करते हुए, एक और निर्देश भी जारी किया गया कि रिट याचिकाकर्ताओं द्वारा जमा की गई राशि उन्हें वापस कर दी जाए, उक्त निर्णय के खिलाफ, हरियाणा राज्य ने एक पत्र पेटेंट अपील दायर की और अपने निर्णय, दिनांक 20 मई, 1985 द्वारा , इस न्यायालय की एक खंडपीठ ने अपील की अनुमति दी, विद्वान एकल न्यायाधीश के फैसले को रद्द कर दिया और इस तरह रिट याचिकाएं खारिज कर दीं। 1983 अधिनियम की संवैधानिकता को बरकरार रखते हुए लेटर्स पेटेंट बेंच के फैसले को हरियाणा राज्य और अन्य बनाम ओम प्रकाश और अन्य के रूप में रिपोर्ट किया गया है, (2) लेटर्स पेटेंट बेंच के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी और जबकि अपील को स्वीकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले, दिनांक 28 जनवरी, 1986 को ओम प्रकाश अग्रवाल, आदि बनाम गिरि राज किशोर और अन्य के रूप में रिपोर्ट किया, (3), उच्च न्यायालय के फैसले को रद्द कर दिया, 1983 अधिनियम को असंवैधानिक घोषित कर दिया। - ट्यूशनल और शून्य. सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि राज्य द्वारा लगाया गया शुल्क कोई शुल्क नहीं था जैसा कि उसने दावा किया था, बल्कि एक कर था जो राज्य द्वारा नहीं लगाया जा सकता था। नतीजतन, 1983 अधिनियम की धारा 3 के तहत उपकर की वसूली को रद्द कर दिया गया और धारा 3 चार्जिंग धारा होने के कारण और उक्त अधिनियम की बाकी धाराएं सिर्फ मशीनरी या आकस्मिक प्रावधान होने के कारण, पूरे 1983 अधिनियम को जमीन पर असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। कि राज्य विधायिका इसे अधिनियमित करने में सक्षम नहीं थी। तदनुसार एक रिट जारी

की गई जिसमें राज्य सरकार को अपीलकर्ताओं के खिलाफ अधिनियम लागू नहीं करने का निर्देश दिया गया।

(4) सुप्रीम कोर्ट के 1983 अधिनियम को असंवैधानिक घोषित करने के फैसले के तुरंत बाद, याचिकाकर्ताओं ने हरियाणा राज्य और उसके मूल्यांकन प्राधिकारियों को 1983 अधिनियम के तहत उनके द्वारा जमा की गई राशि की वापसी की मांग करते हुए नोटिस भेजा और रिफंड प्राप्त करने में विफल रहे। राशियाँ, उन्होंने दाखिल कीं वर्तमान रिट याचिका परमादेश की रिट के लिए प्रार्थना कर रही है। रिट याचिका के लंबित रहने के दौरान, हरियाणा राज्य ने हरियाणा ग्रामीण विकास अधिनियम, 1986 अधिनियमित किया, जिसके बाद याचिकाकर्ताओं ने नए अधिनियमित 1986 अधिनियम की संवैधानिकता को चुनौती देने के लिए अपनी रिट याचिका में संशोधन किया।

(5) नए कानून की आवश्यकता की सराहना करने के लिए, जिस शरारत को दूर करने की कोशिश की गई और विधायिका द्वारा प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य को समझने के लिए, 1986 अधिनियम की मुख्य विशेषताओं का विवरण देना आवश्यक है। आरंभ करने के लिए, 1986 के अधिनियम की प्रस्तावना ही कृषि उत्पादन को बढ़ाने और इसके विपणन और बिक्री में सुधार के लिए हरियाणा ग्रामीण विकास निधि प्रशासन बोर्ड की स्थापना का प्रावधान करती है। 1986 अधिनियम की धारा 3 के तहत, राज्य सरकार को हरियाणा ग्रामीण विकास निधि प्रशासन बोर्ड की स्थापना और गठन करने का अधिकार है, जिसमें एक अध्यक्ष और अन्य आधिकारिक और गैर-आधिकारिक सदस्य शामिल होंगे। बोर्ड एक कॉर्पोरेट निकाय होगा जिसके पास स्थायी उत्तराधिकार और संपत्ति प्राप्त करने और धारण करने की शक्ति के साथ एक सामान्य मुहर होगी। बोर्ड के गैर-आधिकारिक सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्ष निर्धारित किया गया है और राज्य सरकार बोर्ड और उसके अधिकारियों पर अधीक्षण और नियंत्रण रखेगी। बोर्ड

को अपने व्यवसाय के लेन-देन और निर्दिष्ट किए जाने वाले अन्य मामलों को विनियमित करने के लिए उप-कानून बनाने की शक्तियां भी दी गई हैं। धारा 5 के अनुसार, अधिसूचित बाजार क्षेत्र में खरीदी या बेची गई या प्रसंस्करण के लिए लाई गई कृषि उपज की बिक्री-आय के एक प्रतिशत की दर से डीलरों पर यथामूल्य आधार पर शुल्क लगाया जाएगा। ‘‘डीलर‘‘ शब्द का अर्थ किसी ऐसे व्यक्ति से है जो अधिसूचित बाजार क्षेत्र के भीतर कृषि उपज की खरीद, बिक्री, भंडारण या प्रसंस्करण आदि के लिए कोई स्थान स्थापित करता है, स्थापित करता है या जारी रखता है या जारी रखने की अनुमति देता है। बशर्ते कि किसी भी लेनदेन के संबंध में कोई शुल्क नहीं लगाया जाएगा जिसमें खरीदी या बेची गई कृषि उपज की डिलीवरी वास्तव में नहीं की गई है। विषय। धारा 5 की धारा (3) में आगे प्रावधान है कि चूंकि लगाए गए शुल्क का बोझ डीलर पर डालने का इरादा नहीं है, इसलिए डीलर वैधानिक दायित्व के तहत होगा कि वह अगले से उसके द्वारा वसूली योग्य खरीद मूल्य में शुल्क की राशि जोड़े। कृषि उपज या उससे प्रसंस्कृत या निर्मित वस्तुओं का क्रेता। उक्त अधिनियम की धारा 6 में हरियाणा ग्रामीण विकास निधि नामक एक निधि के गठन का प्रावधान है बोर्ड में निहित. धारा 5 के तहत भुगतान की गई फीस और राज्य सरकार और स्थानीय अधिकारियों से अनुदान की राशि हरियाणा ग्रामीण विकास निधि में जमा की जाएगी। धारा 6 की उपधारा (1) के अनुसार, बोर्ड द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों के विकास, औषधालयों की स्थापना के संबंध में होने वाले व्यय को पूरा करने के लिए निधि का उपयोग किया जाएगा। जल आपूर्ति, स्वच्छता और अन्य सार्वजनिक सुविधाओं की व्यवस्था करना, कृषि श्रमिकों का कल्याण, तकनीकी जानकारी का उपयोग करके और अन्य आवश्यक सुधार लाकर 1986 अधिनियम के तहत परिभाषित ग्रामीण क्षेत्र में आने वाले अधिसूचित बाजार क्षेत्रों को मॉडल बाजार क्षेत्रों में परिवर्तित करना। इसमें बिक्रीध्खरीद के लिए बाजार क्षेत्र में लाई जाने वाली कृषि उपज के लिए गोदामों और भंडारण के अन्य स्थानों का

निर्माण और आगंतुकों (विक्रेता और खरीदार दोनों) के ठहरने के लिए सभी आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित विश्राम गृहों का निर्माण शामिल है। बाजार क्षेत्र में आरामदायक और किसी अन्य उद्देश्य के लिए जिसे बोर्ड द्वारा शुल्क का भुगतान करने वाले व्यक्ति के हित में और उसके लाभ के लिए माना जा सकता हैय निधि का उपयोग बोर्ड द्वारा इसके प्रशासन की लागत को पूरा करने के लिए भी किया जा सकता है। 1986 अधिनियम की धारा 11 के अनुसार, 1983 अधिनियम (जिस अधिनियम को ओम प्रकाश अग्रवाल के मामले (सुप्रा) में अपने निर्णयों में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा असंवैधानिक घोषित किया गया है) के प्रावधानों के तहत लगाया और एकत्र किया गया उपकरध्शुल्क माना जाएगा। 1986 अधिनियम के तहत लगाया और एकत्र किया गया है, और किसी भी न्यायालय के किसी भी निर्णय, डिक्री या आदेश में निहित किसी भी बात के बावजूद, राज्य सरकार के लिए डीलर पर लगाए गए और एकत्र किए गए उपकर को बनाए रखना वैध होगा यदि का बोझ है इस तरह का उपकर डीलर द्वारा कृषि उपज या उससे संसाधित या निर्मित वस्तुओं के अगले खरीदार को दिया जाता था, जिसके संबंध में ऐसा उपकर लगाया या एकत्र किया जाता था। इस धारा की उपधारा (3) के अनुसार, यदि उप-धारा (1) के आधार पर सरकार द्वारा रखे गए किसी उपकर की वापसी के संबंध में कोई विवाद उठता है और सवाल यह है कि क्या ऐसे उपकर का बोझ डीलर द्वारा अगले खरीदार को दिया गया था, तो यह माना जाएगा कि ऐसा बोझ डीलर द्वारा डाला गया। इस धारा की उपधारा (4) राज्य सरकार को यह अधिकार देती है कि यदि उपधारा (1) के तहत सरकार द्वारा रखी जाने वाली उपकर की राशि का भुगतान किसी भी डीलर द्वारा नहीं किया गया है, या उसे वापस नहीं किया गया है, तो उसे वापस कर दिया जाएगा। सरकार द्वारा बकाया के रूप में वसूली योग्य है।

(6) श्री कुलदीप सिंह, बार-एट-लॉ, याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ता, ने 1986 अधिनियम के उपरोक्त प्रावधानों की संवैधानिकता को चुनौती दी है, और उनकी प्रस्तुतियाँ मोटे तौर पर निम्नलिखित में वर्गीकृत की जा सकती हैं विवादः-

(1) कि 1986 का अधिनियम उसी बुराई से ग्रस्त है, अर्थात् बदले की भावना के तत्व का अभाव, जैसा कि 1983 के अधिनियम के तहत स्थिति थी, जिसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा असंवैधानिक घोषित किया गया था, जैसा कि 1986 का अधिनियम भी नहीं करता है बाजार क्षेत्र के डीलरों पर लेवी के खर्च के लिए कोई प्रावधान करें। 1966 का अधिनियम उस क्षेत्र के किसी विशेष डीलर को कोई विशिष्ट सेवा प्रदान करने का प्रावधान नहीं करता है जिस पर लेवी लगाने की मांग की गई है। इसलिए, 1986 का अधिनियम भी असंवैधानिक है क्योंकि लेवी कोई शुल्क नहीं बल्कि एक कर है।

(2) 1986 अधिनियम की धारा 11 किसी भी मामले में कानून की दृष्टि से खराब है क्योंकि यह 1983 अधिनियम के तहत लगाए गए और एकत्र किए गए उपकरध्शुल्क को बनाए रखने का प्रावधान करती है, भले ही इसे ओम में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा असंवैधानिक घोषित किया गया हो। प्रकाश अग्रवाल का मामला (सुप्रा)।

अपने पहले तर्क के समर्थन में, श्री कुलदीप सिंह ने ओम प्रकाश अग्रवाल के मामले (सुप्रा) में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का विस्तृत संदर्भ दिया है।

(7) ओम प्रकाश अग्रवाल के मामले में पूर्वोक्त निर्णय के गहन अध्ययन से यह स्पष्ट होगा कि लेवी को असंवैधानिक घोषित करते समय सर्वोच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीशों ने जो बात प्रमुखता से रखी वह 1983 का अधिनियम था। उस डीलर को कोई सेवा प्रदान करने का प्रावधान नहीं किया जो उपकर भुगतानकर्ता था और शुल्क के माध्यम से लेवी लगाने को उचित

ठहराने के लिए, इस प्रकार लगाई गई राशि वास्तव में एक शुल्क होनी चाहिए न कि एक मुखौटा के साथ कर शुल्क। मैथ्यूज़ बनाम चिकोरी मार्केटिंग बोर्ड (4) में ऑस्ट्रेलिया के उच्च न्यायालय के सी.जे. लेथम के प्रसिद्ध बयान पर भरोसा किया गया था, जैसा कि नीचे दिया गया है

''कर कानून द्वारा लागू किए जाने योग्य सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा धन की अनिवार्य वसूली है और प्रदान की गई सेवाओं के लिए भुगतान नहीं है।''

कर को शुल्क से अलग करने के लिए, सर्वोच्च न्यायालय के उनके आधिपत्य ने आयुक्त में उनके पहले के फैसले पर भरोसा किया, ।

हिंदू धार्मिक बंदोबस्ती, मद्रास बनाम श्री शिरूर मठ के श्री लक्ष्मींद्र तीर्थ स्वामी, (5), जिसमें बी.के. मुखर्जी, जे. ने निम्नानुसार देखाः -

''अब फीस की बात करें तो, 'ली' को आम तौर पर किसी सरकारी एजेंसी द्वारा व्यक्तियों को प्रदान की गई विशेष सेवा के लिए शुल्क के रूप में परिभाषित किया जाता है। शुल्क की राशि सेवा प्रदान करने में सरकार द्वारा किए गए खर्चों पर आधारित मानी जाती है। हालाँकि, कई मामलों में लागतों का मनमाने ढंग से मूल्यांकन किया जाता है।

यदि, जैसा कि हम मानते हैं, शुल्क को प्रदान की गई सेवाओं के लिए एक प्रकार का रिटर्न या प्रतिफल माना जाता है, तो यह बिल्कुल आवश्यक है कि शुल्क की वसूली विधायी प्रावधान के आधार पर, सरकार द्वारा किए गए खर्चों से संबंधित होनी चाहिए। सेवाएँ प्रदान करना।''

1983 के अधिनियम को रद्द करते समय सर्वोच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीशों के सामने दूसरा कारण यह था कि उपकर के माध्यम से भुगतान की गई राशि और उस व्यक्ति को प्रदान की गई सेवाओं के बीच कोई संबंध नहीं था, जिससे इसे एकत्र किया गया था।

(8) श्री कुलदीप सिंह के उपरोक्त तर्क का खंडन करते हुए, राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान महाधिवक्ता, हरियाणा ने 1983 अधिनियम के साथ-साथ 1986 अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों का विस्तार से उल्लेख किया है। दोनों अधिनियमों के विभिन्न प्रावधानों की तुलना करके, उन्होंने यह समझाने की कोशिश की है कि 1983 के अधिनियम में विधायी कमजोरियाँ और कमियाँ हैं, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में उजागर किया था, जिसके कारण उपकर लगाया गया था। 1983 का अधिनियम इस कसौटी पर खरा नहीं उतर सका कि 1986 के अधिनियम को पुनः अधिनियमित करते समय राज्य विधायिका द्वारा शुल्क को पूरी तरह से हटा दिया गया है। विद्वान महाधिवक्ता के अनुसार, उन उद्देश्यों को निर्दिष्ट करने में ईमानदारी से सावधानी बरती गई है जिनके लिए शुल्क की राशि, जिसे पहले अधिनियम में उपकर कहा गया था, खर्च की जानी है।

(9) संबंधित प्रश्न पर न्यायिक घोषणाओं के इतिहास का पता लगाते हुए, हरियाणा के विद्वान महाधिवक्ता ने आयुक्त, हिंदू धार्मिक बंदोबस्ती, मद्रास (सुप्रा) के रूप में रिपोर्ट किए गए मामले में सुप्रीम कोर्ट के सात न्यायाधीशों के फैसले से शुरुआत की है।). कर और शुल्क के बीच निम्नलिखित शर्तों में अंतर किया गया थाः

''सावधानीपूर्वक जांच से पता चलता है कि मजबूरी या जबरदस्ती का तत्व सभी प्रकार के थोपने में मौजूद है। हालांकि अलग-अलग डिग्री में और यह फीस में पूरी तरह से अनुपस्थित नहीं है। इसलिए, इसे एकमात्र या यहां तक कि एक भौतिक मानदंड भी नहीं बनाया जा सकता है। कर को शुल्क से अलग करना।

१कर और शुल्क के बीच अंतर मुख्य रूप से इस तथ्य में निहित है कि कर एक सामान्य बोझ के हिस्से के रूप में लगाया जाता है जबकि शुल्क एक विशेष लाभ या विशेषाधिकार के लिए भुगतान है

वास्तव में कर और शुल्क के बीच कोई सामान्य अंतर नहीं है और राज्य की कर लगाने की शक्ति तीन अलग-अलग रूपों में प्रकट हो सकती है जिन्हें क्रमशः विशेष मूल्यांकन, शुल्क और कर के रूप में जाना जाता है।"

इसी आशय के सुप्रीम कोर्ट के दो अन्य फैसले हैं, रतिलाल पनाचंद गांधी और अन्य बनाम बॉम्बे राज्य और अन्य (6), और श्री जगन्नाथ रामानुज दास और अन्य बनाम उड़ीसा राज्य और अन्य में पांच न्यायाधीशों की पीठ के फैसले। (7), जिसमें आयुक्त, हिंदू धार्मिक बंदोबस्ती, मद्रास के मामले (सुप्रा) में पहले के फैसले द्वारा निर्धारित कानून की स्थिति को दोहराया गया था। द हिंगिर-रामपुर कोल कंपनी लिमिटेड और अन्य बनाम उड़ीसा राज्य और अन्य (8) के मामले में सुप्रीम कोर्ट के पांच न्यायाधीशों के एक अन्य फैसले पर विद्वान महाधिवक्ता द्वारा भरोसा जताया गया है। जिसमें माननीय न्यायाधीशों ने अपने पिछले निर्णयों को दोहराते हुए निम्नलिखित बातें जोड़ीं:-

"यह सच है कि जब विधायिका किसी निर्दिष्ट क्षेत्र या व्यक्तियों के एक निर्दिष्ट वर्ग या व्यापार या व्यवसाय के लिए विशिष्ट सेवाएं प्रदान करने के लिए शुल्क लगाती है, तो अंतिम विश्लेषण में ऐसी सेवाएं अप्रत्यक्ष रूप से सामान्य रूप से जनता के लिए सेवाओं का हिस्सा बन सकती हैं। यदि विशेष सेवा प्रस्तुत किया गया तथ्य स्पष्ट रूप से और मुख्य रूप से एक विशिष्ट वर्ग या क्षेत्र के लाभ के लिए है, यह तथ्य कि निर्दिष्ट वर्ग या क्षेत्र को लाभ पहुंचाने में राज्य को अंततः और अप्रत्यक्ष रूप से लाभ हो सकता है, शुल्क के रूप में लेवी के चरित्र में

कोई कमी नहीं आएगी। . हालाँकि, जहाँ विशिष्ट सेवा सार्वजनिक सेवा से अप्रभेद्य है, और संक्षेप में सीधे इसका एक हिस्सा है, वहाँ अलग-अलग विचार उत्पन्न हो सकते हैं। ऐसे मामले में, यह जांच करना आवश्यक है कि लेवी का प्राथमिक उद्देश्य क्या है और वह आवश्यक उद्देश्य क्या है जिसे प्राप्त करना है। इसके मूल उद्देश्य और आवश्यक उद्देश्य को इसके अंतिम या आकस्मिक परिणामों या परिणामों से अलग किया जाना चाहिए।

(10) कालानुक्रमिक क्रम में अगला केवल कृष्ण पुरी और अन्य बनाम पंजाब राज्य और अन्य मामले में सुप्रीम कोर्ट के पांच न्यायाधीशों का फैसला है, (9), जिसमें पंजाब कृषि उपज बाजार अधिनियम के कुछ प्रावधानों की वैधता, 1961 (पंजाब एक्ट नंबर 23 ऑफ 1961) को चुनौती दी गई। ‘‘फीस‘‘ शब्द को व्यापक अर्थ देते हुए और इसके दायरे को और अधिक विस्तारित करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने निम्नानुसार कहा-

‘‘आम तौर पर शुल्क को किसी सरकारी एजेंसी द्वारा व्यक्तियों को प्रदान की गई विशेष सेवा के लिए शुल्क के रूप में परिभाषित किया जाता है। एक प्रश्न उठता है- ‘‘विशेष सेवा‘‘ किसे, किस प्रकार के व्यक्तियों को प्रदान की जाती है? तर्क यह है कि प्रदान की गई सेवा अवश्य होनी चाहिए शुल्क का अंतिम भार जिन पर पड़ता है उनसे सहसंबद्ध होना न तो तर्कसंगत है और न ही उचित, ’

शुल्क के भुगतानकर्ता और इसे चार्ज करने वाले प्राधिकारी के बीच बदले का तत्व स्थापित किया जाना चाहिए। गणितीय परिशुद्धता से यह शुल्क के बिल्कुल बराबर नहीं हो सकता है, फिर भी, कुल मिलाकर, या मुख्य रूप से, शुल्क एकत्र करने वाले प्राधिकारी को यह दिखाना होगा कि वे शुल्क के बदले में जो सेवा प्रदान कर रहे हैं वह भुगतानकर्ता के कुछ विशेष लाभ के लिए है। शुल्क का. यह इतना घनिष्ठ हो सकता है दूसरों को प्रदान की गई सेवा से जुड़ा या अंतर्संबंधित

होने के कारण पूर्ण द्वंद्व और विश्लेषण करना संभव नहीं हो सकता है कि शुल्क के भुगतानकर्ता को कितनी विशेष सेवाएँ प्रदान की गईं और दूसरों को कितना अनुपात दिया गया। लेकिन आम तौर पर और मोटे तौर पर इसे कुछ हद तक निश्चितता, तर्कसंगतता या संभावना की प्रबलता के साथ दिखाया जाना चाहिए कि प्राप्त शुल्क की राशि का एक बड़ा हिस्सा अपने भुगतानकर्ताओं के विशेष लाभ के लिए खर्च किया जाता है।

(11) दक्षिणी फार्मास्यूटिकल्स और केमिकल्स, त्रिचूर और अन्य बनामः केरल राज्य और अन्य, में सुप्रीम कोर्ट के एक और फैसले (तीन न्यायाधीशों के फैसले) पर भरोसा करते हुए, विद्वान महाधिवक्ता, हरियाणा ने लिया है। आगे यह तर्क दिया जाता है कि क्विड प्रो क्वो स्ट्रिक्टो सेंसो का तत्व हमेशा शुल्क का अनिवार्य तत्व नहीं होता है और प्रत्येक कर में क्विड प्रो क्वो का तत्व आवश्यक रूप से अनुपस्थित नहीं होता है। विद्वान महाधिवक्ता ने हमारा विशेष ध्यान उपरोक्त निर्णय के निम्नलिखित शब्दों की ओर आकर्षित किया हैः-

‘‘प्रतिदान की पारंपरिक अवधारणा परिवर्तन के दौर से गुजर रही है।‘‘

(12) अपने तर्क को आगे बढ़ाते हुए, विद्वान महाधिवक्ता, हरियाणा, दिल्ली नगर निगम और अन्य बनाम मोहम्मद में सुप्रीम कोर्ट के एक अन्य फैसले पर भरोसा करते हैं। यासीन (11), जिसमें बूचड़खानों में जानवरों के वध के लिए शुल्क में वृद्धि को इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि यह वास्तव में एक कर था, न कि शुल्क क्योंकि प्रदान की गई सेवाओं की लागत और एकत्रित शुल्क की राशि के बीच कोई संबंध नहीं था। . विवाद को खारिज करते हुए, ओ. चिन्नाप्पा रेड्डी, जे. ने न्यायालय की ओर से बोलते हुए, इस प्रकार कहाः-

‘‘जबरन कर और शुल्क के बीच अंतर की पहचान नहीं है। एकत्र किया गया धन एक अलग निधि में नहीं जाता है, बल्कि समेकित निधि में जाता है, यह जरूरी नहीं है कि कर लगाया

जाए। हालांकि शुल्क अवश्य होना चाहिए प्रदान की गई सेवाओं, या प्रदत्त लाभों के संबंध में, ऐसा संबंध प्रत्यक्ष होना आवश्यक नहीं है,

एक मात्र आकस्मिक संबंध ही पर्याप्त हो सकता है। इसके अलावा, न तो शुल्क की घटना और न ही प्रदान की गई सेवा एक समान होनी चाहिए। शुल्क का भुगतान करने वालों के अलावा अन्य लोगों को भी लाभ होने से शुल्क के चरित्र में कोई कमी नहीं आती है। वास्तव में, सार्वजनिक हित में विनियमन के प्राथमिक उद्देश्य की तुलना में शुल्क का भुगतान करने वालों को विशेष लाभ या लाभ गौण भी हो सकता है। न ही न्यायालय को लागत लेखाकार की भूमिका निभानी है। एकत्र की गई फीस की राशि के मुकाबले प्रदान की गई सेवाओं की लागत आदि को बहुत सावधानी से तौलना न तो आवश्यक है और न ही समीचीन है ताकि दोनों को समान रूप से संतुलित किया जा सके। एक व्यापक सहसंबंध ही आवश्यक है। सच्चे अर्थों में क्विड प्रो क्वो किसी शुल्क का एकमात्र सच्चा सूचकांक नहीं हैय न ही यह आवश्यक रूप से किसी कर में अनुपस्थित है।''

(13) अपने तर्क को आगे बढ़ाते हुए, विद्वान महाधिवक्ता, हरियाणा ने यह रुख अपनाया है कि शुल्क कर नहीं बनेगा, भले ही लेवी में बदले का तत्व अनुपस्थित हो। अपने तर्क को पुष्ट करने के लिए, उन्होंने श्रीनिवास जनरल ट्रेडर्स और अन्य, आदि बनाम आंध्र प्रदेश राज्य और अन्य (12) मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भरोसा किया है, जहां- उनके आधिपत्य में निम्नानुसार माना गया हैः -

''परंपरागत दृष्टिकोण कि शुल्क के लिए वास्तविक प्रतिदान होना चाहिए, बाद के निर्णयों में एक बड़ा बदलाव आया है। कर और शुल्क के बीच अंतर मुख्य रूप से इस तथ्य में है कि कर एक सामान्य बोझ के हिस्से के रूप में लगाया जाता है, जबकि शुल्क एक विशिष्ट लाभ या

विशेषाधिकार के भुगतान के लिए है, हालांकि विशेष लाभ सार्वजनिक हित में विनियमन के प्राथमिक उद्देश्य के लिए गौण है। यदि राज्य के सामान्य उद्देश्य के लिए राजस्व का तत्व प्रमुख है, तो लेवी एक कर बन जाती है। के संबंध में फीस, एकत्र की गई फीस और प्रदान की जाने वाली सेवा के बीच सह-संबंध है और हमेशा रहना चाहिए...... कर और शुल्क के बीच कोई सामान्य अंतर नहीं है। दोनों सार्वजनिक अधिकारियों द्वारा धन की अनिवार्य वसूली हैं।"

(14) अपनी दलीलों को आगे दोहराने के लिए, विद्वान महाधिवक्ता ने अपनी सहायता के लिए द सिटी कॉरपोरेशन ऑफ कालीकट बनाम थाचम्बलथ सदासिवन और अन्य (13) मामले में सुप्रीम कोर्ट के एक और फैसले का सहारा लिया है, जो बदले में मैसर्स अमर नाथ ओम प्रकाश और अन्य बनाम पंजाब राज्य और अन्य (14) में पहले के फैसले पर भरोसा जताया है। उस मामले में, उनके आधिपत्य ने यह माना किः-

"इस प्रकार इस न्यायालय के कई हालिया निर्णयों से यह अच्छी तरह से तय हो गया है कि बदले में शुल्क की पारंपरिक अवधारणा एक परिवर्तन के दौर से गुजर रही है और हालांकि शुल्क का प्रदान की गई सेवाओं, या प्रदत्त लाभों से संबंध होना चाहिए, ऐसे संबंध की आवश्यकता है प्रत्यक्ष नहीं, केवल आकस्मिक संबंध ही पर्याप्त हो सकता है। यह स्थापित करना आवश्यक नहीं है कि जो लोग शुल्क का भुगतान करते हैं उन्हें प्रदान की गई सेवाओं का प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त करना चाहिए जिसके लिए शुल्क का भुगतान किया जा रहा है। यदि भुगतान करने वाला व्यक्ति सामान्य लाभ प्राप्त करता है शुल्क लगाने वाले प्राधिकारी से शुल्क एकत्र करने के लिए आवश्यक सेवा का तत्व संतुष्ट है। यह आवश्यक नहीं है कि भुगतान करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति को शुल्क के भुगतान के लिए कुछ विशेष लाभ या लाभ प्राप्त हो।

इन निर्णयों के अनुपात को लागू करने से यह निर्विवाद है कि अपीलकर्ता-निगम अपने संचालन क्षेत्रों के भीतर व्यक्तियों को कई सेवाएं प्रदान कर रहा है और इसलिए शुल्क के रूप में लाइसेंस शुल्क की वसूली पूरी तरह से उचित है। नारियल की भूसी भिगोने से दुर्गंध निकलती है और पर्यावरण प्रदूषित होता है। निगम सफाई सेवाएं प्रदान करके। शहर की साफ-सफाई, बस्तियों को सहनीय बनाने के लिए अभियान चलाना सामान्य सेवा प्रदान कर रहा है जिसके अन्य लोगों के साथ-साथ अपीलकर्ता भी लाभार्थी हैं। इस प्रकार शुल्क के रूप में लेवी उचित है।"

(15) सर्वोच्च न्यायालय के उपरोक्त निर्णयों का वर्तमान मामले के तथ्यों और 1986 अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के अनुपात को लागू करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि-

(1) 1986 अधिनियम का उद्देश्य केवल बाजार क्षेत्रों में काम करने वाले डीलरों को प्रदान की जाने वाली सेवाओं के लिए शुल्क लगाना है

(2) लगाया गया शुल्क उचित है और प्रदान की गई सेवाओं के साथ घनिष्ठ संबंध रखता है, और

(3) बदले के तत्व का परीक्षण पर्याप्त रूप से संतुष्ट है क्योंकि 1986 अधिनियम विशेष रूप से डीलरों और सामान्य रूप से अन्य जनता को पर्याप्त सेवाएं प्रदान करने का प्रावधान करता है।

इस प्रकार, ओम प्रकाश अग्रवाल के मामले (सुप्रा) में सुप्रीम कोर्ट के फैसले में निर्धारित आवश्यकताएं पूरी तरह से संतुष्ट हैं। इसलिए, यह मानने में कोई कठिनाई नहीं है कि 1986 का अधिनियम संवैधानिक रूप से वैध है और इसके खिलाफ चुनौती पूरी तरह से बलहीन है। परिणामस्वरूप, याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील का पहला तर्क खारिज किया जाता है।

(16) याचिकाकर्ताओं के दूसरे तर्क का खंडन करते हुए, यानी 1986 अधिनियम की धारा 11 किसी भी मामले में कानून की दृष्टि से खराब है क्योंकि यह 1983 अधिनियम के तहत लगाए

गए और एकत्र किए गए उपकरध्शुल्क को बनाए रखने का प्रावधान करती है, भले ही वही हो। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा असंवैधानिक घोषित किए जाने के बाद, हरियाणा के विद्वान महाधिवक्ता ने मैसर्स अमर नाथ ओम प्रकाश (सुप्रा) के रूप में रिपोर्ट किए गए सर्वोच्च न्यायालय के तीन न्यायाधीशों के फैसले पर दृढ़ता से भरोसा किया है। यह ध्यान देने योग्य है कि ओम प्रकाश अग्रवाल के मामले (सुप्रा) में निर्णय, जिसने 1983 अधिनियम को असंवैधानिक घोषित किया था, ओ. चिन्नप्पा रेड्डी और ईएस द्वारा प्रस्तुत किया गया था। वेंकटरामय्या, जे.जे. उन्हीं दो माननीय न्यायाधीशों और ए.पी. सेन, जे. ने उस पीठ का गठन किया जिसने मैसर्स अमर नाथ ओम प्रकाश के मामले (सुप्रा) में फैसला सुनाया। हालाँकि, आश्चर्यजनक रूप से, मैसर्स अमर नाथ ओम प्रकाश के मामले (सुप्रा) में सर्वोच्च न्यायालय के तीन माननीय न्यायाधीशों के इस फैसले को बाद में ओम प्रकाश अग्रवाल के मामले पर निर्णय लेते समय माननीय न्यायाधीशों के ध्यान में नहीं लाया गया (सुप्रा)।

(17) मेसर्स अमर नाथ ओम प्रकाश के मामले में, जिस पर विद्वान महाधिवक्ता, हरियाणा द्वारा भरोसा किया जा रहा है, लगभग समान स्थिति न्यायालय के विचाराधीन थी, क्योंकि पंजाब कृषि उपज बाजार अधिनियम, 1961 के तहत एक मामले में केवल कृष्ण पुरी के मामले (सुप्रा) में फीस को 2 प्रतिशत से बढ़ाकर 3 प्रतिशत करने को सुप्रीम कोर्ट ने अवैध घोषित कर दिया था। हालाँकि, राज्य विधायिका ने धारा 23-ए जोड़कर पंजाब कृषि उपज बाजार अधिनियम में संशोधन किया, जो लगभग है

विषय 1986 अधिनियम की धारा 11 के प्रावधानों के समान है। वर्तमान रिट याचिका में चुनौती का मामला। 1986 अधिनियम की धारा 11 और उपरोक्त धारा 23-ए इस प्रकार पढ़ें-

“11. उपकर का प्रतिधारण - (1) 30 सितंबर, 1983 से शुरू होकर अधिसूचना जारी होने की तारीख तक की अवधि के लिए हरियाणा ग्रामीण विकास निधि अधिनियम, 1983 के प्रावधानों के तहत लगाया और एकत्र किया गया उपकरध्शुल्क इस अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) के तहत, इस अधिनियम के तहत लगाया और एकत्र किया गया माना जाएगा और किसी भी अदालत के किसी भी फैसले, डिक्री या आदेश में कुछ भी शामिल होने के बावजूद, यह वैध होगा। राज्य सरकार डीलर से लगाए गए और एकत्र किए गए उपकर को अपने पास रखेगी, यदि इस तरह के उपकर का बोझ डीलर द्वारा कृषि उपज या उससे संसाधित या निर्मित वस्तुओं के अगले खरीदार को दिया गया था, जहां इस तरह के उपकर का भुगतान किया गया था।

“(2) उप-धारा (1) के तहत सरकार द्वारा रखे गए उपकर के पूरे या किसी हिस्से की वापसी के लिए किसी भी अदालत में कोई मुकदमा या अन्य कार्यवाही शुरू नहीं की जाएगी या जारी नहीं रखी जाएगी और कोई भी अदालत किसी भी डिक्री को लागू नहीं करेगी या ऐसे उपकर के पूरे या किसी हिस्से की वापसी का निर्देश देने वाला आदेश।

23-ए (1) किसी भी अदालत के किसी भी निर्णय, डिक्री या आदेश में निहित किसी भी बात के बावजूद, समिति के लिए धारा 23 के तहत लगाए जाने वाले शुल्क से अधिक लाइसेंसधारी से उसके द्वारा लगाए गए और एकत्र किए गए शुल्क को बनाए रखना वैध होगा। ऐसी फीस लाइसेंसधारी द्वारा कृषि उपज के अगले क्रेता को दे दी गई थी, जिसके संबंध में ऐसी फीस एकत्र की गई थी। लगाया गया था और

(2) कोई मुकदमा या अन्य कार्यवाही शुरू नहीं की जाएगी। उप-धारा (1) के तहत समिति द्वारा रखी गई पूरी फीस या उसके किसी हिस्से की वापसी के लिए किसी भी अदालत में बनाए रखा

या जारी रखा जाएगा और कोई भी अदालत ऐसी फीस के पूरे या किसी हिस्से की वापसी का निर्देश देने वाले किसी भी डिक्री या आदेश को लागू नहीं करेगी।

(3) यदि उपधारा (1) के आधार पर सरकार द्वारा रखे गए किसी उपकर की वापसी के संबंध में कोई विवाद उत्पन्न होता है और सवाल यह है कि क्या ऐसे उपकर का बोझ डीलर द्वारा अगले खरीदार को दिया गया था यह माना जाएगा कि ऐसा बोझ डीलर द्वारा डाला गया था।

(4) यदि उप-धारा (1) के तहत सरकार द्वारा रखे जाने योग्य उपकर की राशि का भुगतान नहीं किया गया है, या किसी डीलर को वापस कर दिया गया है, तो वह सरकार द्वारा भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूली योग्य होगी।

(1986 अधिनियम में कोई उपधारा (5) नहीं।)

(3) यदि उप-धारा (1) के आधार पर किसी समिति द्वारा रखी गई किसी भी फीस की वापसी के संबंध में कोई विवाद उत्पन्न होता है और सवाल यह है कि क्या ऐसी फीस का बोझ लाइसेंसधारी द्वारा अगले खरीदार को दिया गया था संबंधित कृषि उपज, यह तब तक माना जाएगा जब तक कि अन्यथा साबित न हो जाए कि ऐसा बोझ लाइसेंसधारी द्वारा दिया गया था।

(4) यदि उप-धारा (1) के तहत समिति द्वारा रखी जाने वाली कोई भी फीस किसी लाइसेंसधारी को वापस कर दी गई है, तो उसे धारा 41 की उप-धारा (2) में बताए गए तरीके से समिति द्वारा वसूल किया जाएगा।

(5) इस धारा के प्रावधान पंजाब कृषि उपज बाजार (संशोधन और मान्यता) अधिनियम, 1976 की धारा 6 के संचालन को प्रभावित नहीं करेंगे।"

संग्रहण और न ही 3 रुपये प्रति 100 की दर से भविष्य में संग्रहण प्रदान करने का कोई प्रयास। वह सब धारा। 23-ए उन डीलरों द्वारा अन्यायपूर्ण संवर्धन को रोकने के लिए है जो पहले ही शुल्क का बोझ अगले खरीदार पर डाल चुके हैं और इस प्रकार बाजार समितियों से रिफंड का दावा करके खुद को प्रतिपूर्ति कर चुके हैं। हम पहले ही धारा 23-ए का वास्तविक उद्देश्य बता चुके हैं। यह बाजार समिति के माध्यम से जनता को वही देता है जो उसने जनता से लिया है और जो उसे मिलना चाहिए। यह सीजर को बताता है कि सीजर का क्या है। हमें धारा 23-ए जैसे प्रावधान को अवैध लेवी को वैध बनाने के उद्देश्य से वर्णित करने का कोई औचित्य नहीं दिखता है।"

(18) पंजाब कृषि उपज बाजार अधिनियम, 1961 की धारा 23-ए की वैधता को बरकरार रखने में सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपनाया गया तर्क, वर्तमान मामले में 1986 अधिनियम की धारा 11 को बरकरार रखने के लिए बिल्कुल लागू होता है। इसलिए, उपरोक्त निर्णय का अनुपात विद्वान महाधिवक्ता द्वारा उठाए गए रुख को पूरी तरह से कवर करता है और यह मानने में कोई कठिनाई नहीं है कि 1986 अधिनियम की धारा 11 संवैधानिक रूप से वैध है और इस आधार पर हमला करने के लिए खुला नहीं है कि यह चाहता है 1983 अधिनियम के तहत वसूले गएध्वसूली योग्य उपकरध्शुल्क के प्रतिधारण को मान्य करें।

(19) हमारे सामने किसी अन्य बिंदु पर आग्रह नहीं किया गया है।

(20) परिणामस्वरूप, ये सभी उनतीस रिट याचिकाएं खारिज कर दी जाती हैं और यह माना जाता है कि हरियाणा ग्रामीण विकास अधिनियम, 1986 संवैधानिक रूप से वैध है। लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं है,

आर.एन.आर.

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

अक्षय अरोड़ा

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी हरियाणा